

न्यायालय :- माखनलाल झाड़, द्वि०अ० सत्र न्या० बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

C.R.A. No. 36/2017
Filling No. CRA/1549/2017
CNR MP 5005002311/2017
संस्थित दिनांक - 01.09.2017

नरसिंह उम्र 26 वर्ष पिता सोनसिंह यादव
निवासी-ग्राम मोहगाव थाना मलाजखण्ड तहसील बिरसा
जिला-बालाघाट (म०प्र०) - - - - - **अपीलार्थी**

विरुद्ध / /

म०प्र० शासन द्वारा :-आरक्षी केन्द्र बिरसा
जिला बालाघाट - - - - - **उत्तरवादी**

{न्यायालय:- श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रथम श्रेणी बालाघाट द्वारा आप.प्रक.क्र.- 617/2006 शासन
विरुद्ध नरसिंह में निर्णय दिनांक 27.09.2017 में पारित दोषसिद्धि
एवं दण्डादेश से व्यथित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के अंतर्गत
दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री अभिजीत बापट अपर लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी।

निर्णय / / / -

(आज दिनांक **08 दिसम्बर 2017** को घोषित)

1. अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 617/2006 म.प्र. राज्य विरुद्ध नरसिंह में दिनांक 27.09.2017 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।
2. स्वीकृत तथ्य यह है कि दिनेश कटरे अ.सा.4, नरेश अ.सा.9, परसराम छाबड़ा अ.सा.11 अभियुक्त को पहचानते हैं।

3. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 23.07.2006 को खुश्याल सिंह परते ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनांक को दिन के 15.40 बजे साक्षी ग्राम पंचायत बखारीकोना का सरपंच है। मधु टेकाम सचिव था, के साथ हीरो होण्डा स्पलेण्डर मोटरसायकल से बखारीकोना से डब्ल्यू.बी.एम. कार्य की मजदूरी की राशि का भुगतान करने गांव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मानेगांव राशि निकालने के लिए गये थे। मधु टेकाम मोटरसायकल चला रहा था, बाएं साईड से चल रहे थे, तभी रमगढ़ी तालाब के पास रास्ते पर स्वराज माजदा वाहन क्रमांक एम.पी. 50 जी. 0216 के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार, उतावलेपन से चलाकर, लापरवाहीपूर्वक चलाकर उनकी मोटरसायकल में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। जिसमें साक्षी व मधु नीचे गिर गये तथा मौके पर ही मधु की मृत्यु हो गई कि की प्रथम सूचना लेख कराने पर अपराध क्रमांक 46/2006 धारा 279, 337, 304-ए भा0द0वि0 के अधीन प्रथमसूचना लेखकर आपराधिक क्रमांक 36/2017 दर्ज किया गया। मधु की मृत्यु के बाद 304-ए भा0द0वि0 का अपराध बढ़ाया गया। प्रक्रिया विधि का पालन कर अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. प्रस्तुत अपील का सार यह है कि विचारण न्यायालय ने अनुमान और संभावना के आधार पर दण्डित किया है। साक्षीगणों के साक्ष्य का मूल्यांकन उचित रूप से किये बिना निष्कर्ष निकालकर दंडित किया है। दस्तावेजी साक्ष्य को विचार में नहीं लिया गया। तथ्य को विचार में न लेकर निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अपीलार्थी को परिविक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ न देकर त्रुटि की है, निर्णय एवं दण्डाज्ञा विधि के अधीन निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार कर दण्डाज्ञा निरस्त की जावे।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने आपराधिक क्र. 36/2017 निर्णय दिनांक 27.09.2017 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि, विधि की त्रुटि किए जाने से दोषसिद्धि व दण्डादेश का निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

6. दिनेश कटरे (अ.सा.1), खुश्याल सिंह (अ.सा.2), अनिल आडवाणी (अ.सा.3), झनकलाल (अ.सा.4), रामन (अ.सा.5), रायसिंह बिसेन (अ.सा.6), पीतरदास (अ.सा.7), डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.8), पाल सिंह (अ.सा.10) के कथनों को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त सभी साक्षियों के कथन में अपील के निराकरण के हेतु कोई साक्ष्य नहीं है।
7. नरस छाबड़ा (अ.सा.9) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि नरसिंह को जानता है। मोहन एवं परसराम को भी जानता है। दोनों साक्षी के भाई है। घटना 10 साल पहले की है। साक्षी ने कथन किया है कि मोहन के नाम से मेटाडोर स्वराज मादरा नंबर एम.पी. जी. 0216 था। उक्त वाहन के नरसिंह यादव को चलाने के दिया था। वह दमोह एवं मानेगांव सामान छोड़ने गया था। आरोपी मेटाडोर लेकर नहीं आया तब साक्षी ने अपने भाई परसराम को मोहगांव भेजा था।
8. इसी साक्षी ने मुख्य कथन में आगे साक्ष्य दी है कि दूसरे दिन नरसिंह ने स्वयं आकर साक्षी को बताया था कि उसका मानेगांव के पास एक्सीडेंट हो गया है जिसमें दो आदमी जो मोटरसायकल से थे, टक्कर मार दिया है। साक्षी ने पूछा कि उनका क्या हुआ है तब उसने बताया कि वह डर के कारण वहां से गाड़ी सहित वापस आ गया है। साक्षी ने उक्त वाहन थाने में पेश करवाया था। साक्षी ने प्र.पी. 7 का ए से ए भाग का कथन पुलिस को दिया था। सूचक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि उक्त घटना में मधु टेकाम की मृत्यु हुई थी और होशियार सिंह को चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि पुलिस ने घटना के दूसरे दिन जब वह थाने गया था बयान ली थी। यह इंकार किया है कि नरसिंह ने एक्सीडेंट करने वाली बात साक्षी को नहीं बताई थी।
9. परसराम छाबड़ा (अ.सा.11) ने साक्ष्य दी है कि आरोपी को जानता है। वर्ष 2006 की बात है। घटना के समय साक्षी अपने भाई के साथ

छाबड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। घटना के समय साक्षी गाड़ी में सामान लोड कराकर बालाघाट से भेजता था। साक्षी को पता लगा था कि माजदा गाड़ी का मानेगांव के पास एक्सीडेंट हो गया था जिसका चालक नरसिंह था। सूचक प्रश्न के उत्तर में जप्ती पत्रक प्र.पी. 8 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना कथन किया है। यह इंकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है।

10. उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया।

11. अपीलार्थी की ओर से श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता ने तर्क कर निवेदन किया कि दुर्घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अनुश्रुत साक्षी नरेस छाबड़ा अ.सा.9 को जिस ज़रिए से घटना की जानकारी ज्ञात हुई है, ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति का न्यायालय में परीक्षण नहीं हुआ है, बिना पुष्टि के नरेस अ.सा.9 के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। परसराम छाबड़ा अ.सा.11 की साक्ष्य में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई कथन नहीं है। नरेस छाबड़ा अ.सा.9 एकल साक्षी के कथन के आधार पर निष्कर्षित दोषसिद्धि अन्य साक्षियों के कथन से पुष्टि न होने के कारण निष्कर्षित दोषसिद्धि अपास्त कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

12. उत्तरवादी राज्य की ओर से श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. के द्वारा तर्क कर निवेदन किया कि यह मामला अनुश्रुत साक्षी का नहीं है अपितु अभियुक्त के द्वारा स्वतः ट्रांसपोर्टर नरेस अ.सा.9 को स्वतः घटना की बात बताई है कि वाहन क्रमांक एम.पी. 50 जी. 0216 जो साक्षी अ.सा. 9 का चालक था ने घटना की बात अपने नियोजक को स्वेच्छया बताई है कि उससे दुर्घटना हुई है जो इस मामले से संबंधित है।

13. उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। आरोपी के द्वारा ट्रांसपोर्टर नरेश अ.सा.9 को घटना के संबंध में दी गई जानकारी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के प्रकार की है इसलिए नरेश अ.सा.9 के कथन पर किसी भी प्रकार का संदेह किया जाना उचित नहीं है। विद्वान विचारण

न्यायालय ने नरेश अ.सा.9 के कथन पर विश्वास कर अपीलार्थी को दोषसिद्ध पाकर साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि नहीं की है, तथ्य की त्रुटि नहीं की है, विधि की त्रुटि नहीं की है।

14. अतः विचारण न्यायालय के द्वारा निष्कर्षित दोषसिद्धि का निर्णय हस्तक्षेप योग्य नहीं है। परिणामतः दोषसिद्धि के निर्णय की पुष्टि की जाती है। जहाँ तक दण्ड के बिंदु पर तर्क है, को विचार में लेने के पश्चात् पारित दण्ड पूर्व से ही नरम रूख अपनाते हुए दिया गया है उसमें और कम अवधि किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पारित दण्डादेश की भी पुष्टि की जाती है।

15. सजा वारंट पर टीप लेख हो कि अपीलार्थी की अपील निरस्त कर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं दण्डाज्ञा की पुष्टि की गई है। नियमानुसार सजा भुगताई जावे।

16. अपीलार्थी के जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते हैं।

17. अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद बुक नम्बर 23485/36 दिनांक 27.09.2017 के द्वारा 11,000/-रुपये अर्थदण्ड की राशि जमा किया है।

18. मामले में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में वाहन क्रमांक एम.पी. 50 जी. 0216 सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी की शर्तें समाप्त की जाती हैं।

19. निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर अभिलेख, अभिलेखागार में जमा की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

सही/-
(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बालाघाट

सही/-
(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
बालाघाट